2023/182

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

र्थी :– उमेश पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राहम्ण निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

र्थीगण :– कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी खाटू खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह।

मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. **78** सन्–.....**2023**..

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
6.2023	प्रार्थी उमेश पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राहम्ण निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी खाटू खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र खिलेरी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद खाटू खुर्द पटवार हल्का खाटू खुर्द के खसरा सं0 2171/797 रकबा 2.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 2173/797 रकबा 1.1300 हैक्टे0 भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि का बैचाण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। इस हेतु तहसीलदार डीडवाना/मौलासर को तहरीर जारी हो। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये साधारण र[illegible] [illegible] तलबी से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब ह[illegible] [illegible]07.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

13/7/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 3/8/23 को पेश हो।

3/8/2023 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता को बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु आवाजों के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner